बिहार सरकार

परिवहन विभाग

का0आ0सं0–07/स्था0–28–202/2023, परि0 पटना, दिनांक–

कार्यालय आदेश

जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्र सं0–3254, दिनांक–08.05.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा के ज्ञाप सं0–3223, दिनांक–07.05.2026 द्वारा श्री धनतेरस कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक की प्रतिनियुक्ति राष्ट्रीय लोक अदालत की बिरौल बेन्च में की गयी है। श्री कुमार को दिनांक–08.05.2026 को बिरौल जाकर लोक अदालत से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियों का जायजा करने का निदेश दिया गया, परन्तु श्री कुमार द्वारा उक्त निदेश का पालन नहीं किया गया।

2. अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल द्वारा भी श्री कुमार से दिनांक–09.05.2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों में उपस्थित होकर मदद करने का अनुरोध किया गया, परन्तु श्री कुमार द्वारा किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों में कठिनाईयाँ उत्पन्न हुई।

3. जिला पदाधिकारी, दरभंगा के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत जैसे गम्भीर कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में श्री धनतेरस कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, दरभंगा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

4. श्री कुमार का निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला परिवहन कार्यालय, भोजपुर (आरा) निर्धारित किया जाता है।

5. श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय है, जिसका भुगतान जिला परिवहन कार्यालय, भोजपुर (आरा) से देय होगा।

6. श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप की जाँच हेतु अलग से आरोप पत्र गठित किया जायेगा।

7. प्रस्ताव पर राज्य परिवहन आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, दरभंगा/संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा/जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/श्री धनतेरस कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3536/ पटना, दिनांक– 11/05/2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, परिवहन के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सभी संबंधित पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.5.26

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।